रजिस्ट्री सं. डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 1974/आश्विन 3, 1896
No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 1974/ASVINA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September 1974

G.S.R. 401(E).—Whereas in pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government has nominated the Deputy Director-General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, as the Chairman of the Registration Committee with immediate effect vice the Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 1542, dated the 13th October, 1971 namely:—

In the said notification, under the heading "Chairman", against item (i), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"The Deputy Directory-General (Crop Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi".

[No. 19-4/74-PPS]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1974

सा० का० नि० 401 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने कीटनाशि अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के स्थान पर उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को, तुरन्त प्रभावी रूप से, रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1542, तारीख 13 अक्तूबर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "अध्यक्ष", शीर्षक के नीचे, मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।"

[सं० 19-4/74-पी० पी० एस०]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974